चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 30.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 30.11.2024 को यातायात माह नवम्बर 2024 के समापन के अवसर पर संत थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रकूट खुटहा शिवरामपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी सुश्री अमृतपाल कौर की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश द्विवेदी, एआरटीओं श्री विवेक शुक्ला की उपस्थिति में यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने ओवर स्पीड एवं शराब पीकर वाहन चलाने के विषयों पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गयी।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं मुख्य विकास अधीकारी महोदया द्वारा छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुये सभी को यातायात नियमों का पालन के लिये जागरुक किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक नवम्बर माह को यातायात महीने के रूप में मनाती है। इसमें यातायात पुलिस का केन्द्र यातायात जागरूकता की तरफ होता है। नगर पालिका एवं अन्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से पूरे महीने स्कूलों,कॉलेजों,रिक्सा,ऑटो रिक्सा,ट्रक मालिकों एवं ट्रक ड्राइवरों से सम्पूर्ण यातायात नियम की पालन करने हेतु अपील की गयी। पुलिस की डर से नही बल्कि हमलोग अपने परिवार,सम्पत्ति एवं स्वम की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने व सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यदि यातायात नियम के पालन के दौरान दुर्घटना में कमी होगी तो यातायात माह सफल होगा। इस दौरान छात्रों को बताया गया कि आप सब समाज के सूत्रधार हैं इसलिये आप घर पर जाकर अपने परिजनों एवं रिश्तेदारों को यातायात नियमों के पालन करने के लिये जागरुक करें। सभी को बताया गया कि 04 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं 02 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगायें।

इस दौरान कॉपरेटिव बैंक चित्रकूटधाम बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, क्षेत्राधाकरी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, टीएसआई श्री शैलेन्द्र सिंह, स्कूल के प्राचार्य (फादर), शिक्षक स्टाफ एंव यातायात पुलिस के अन्य कर्मचारीगण उपस्थिति रहे।

(4). आज दिनाँक 30.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि द्वारा अगहन मास अमावस्या मेला डियूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को कहा गया कि सभी अपनी-अपनी डियूटी पर समय से पहुचेंगे, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी डियूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा। ड्यूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करेगें।

पूरे मेल को सकुशल संपन्न करने के लिए 04 जोन व 14 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, 12 निरीक्षक, 60 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 202 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 45 महिला कांस्टेबल, 02 उपनिरीक्षक यातायात, 08 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात, 02 पीएससी कंपनी, 01 उपनिरीक्षक एलआईयू, 04 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू, 01 एसचैक टीम, 02 डॉग स्क्वायड, 02 फायर टेण्डर की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली एवं मेला में लगे समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #Operation Conviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 451/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त भुक्कू उर्फ भिक्खू पुत्र नत्थू केवट निवासी मालकाना डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल (सी0डि0) श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त रामलखन पुत्र मेडीलाल निवासी चकगुलाम आलम थाना कौशाम्बी जनपद कौशाम्बी को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी सीतापुर पुलिस टीम ने दुष्कर्म के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि 28.11.2024 को एक ग्राम निवासिनी वादिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उसकी पुत्री रैन बसेरा घूमने गयी थी आरोपियों द्वारा मेरी पुत्री नाबालिक लड़की को पकड़कर शौचालय के अन्दर बुलाकर बाथरूम में बन्द कर देना जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 729/2024 धारा 137(2),127(2) बीएनएस बनाम रैन बसेरा शौचालय का कर्मचारी राहुल व रैन बसेरा का ठेकेदार विमलचन्द्र मिश्रा पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस से मुकदमा उपरोक्त में धारा 70(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। आज दिनाँक 30.11.2024 को उ0नि0 मेवालाल मौर्या व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 729/2024 धारा 70(2), 137(2), 127(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट की के वाँछित अभियुक्त राहुल कुमार त्रिपाठी पुत्र सूर्य प्रकाश त्रिपाठी निवासी मऊ थाना मरका जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर

2.आरक्षी नागेश कुमार

3.आरक्षी अमर यादव

(8).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2019 धारा 498ए,304(B), भादवि0 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अखिलेश पुत्र नायबलाल निवासी बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष कारावास व 18 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 02.08.2019 को वादी चुनवाद निषाद पुत्र स्व0 रामपाल निवासी तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में अभियोग पंजीकृत कराया कि आरोपीगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करना व प्रताड़ित करना दहेज की मांगपुरी न होने पर पुत्री रोशनी को जान से मार देना जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 132/2019 धारा 498ए,304(B) भादवि0 व 04 द0प्र0 अधिनियम बनाम 1. अखिलेश पुत्र नायबलाल 2. नायबलाल पुत्र बब्बू 3. श्रीमती अकलिया पत्नी नायबलाल 4. पउवा उर्फ मिथलेश पुत्र नायबलाल निवासीगण बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री इश्तेयाक अहमद द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा दिनांक 04.08.2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 02.01.2020 को अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. नायबलाल पुत्र बब्बू 2. श्रीमती अकलिया पत्नी नायबलाल 3. पउवा उर्फ मिथलेश पुत्र नायबलाल निवासीगण बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट मुकदमा उपरोक्त में दोषमुक्त किया गया।